पत्रांक 707/स्था०   दिनांक 20/3/18

नगर निगम कार्यालय, मुंगेर
पुर्ननिविदा बन्दोवस्ती आम सूचना–2018–19

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि नगर निगम, मुंगेर के निम्नलिखित सैरातों का वर्ष 2018–19 के दिनांक–01/04/2018 से 31/03/2019 (एक वर्ष) तक के लिए खुली डाक द्वारा सैरातों के सामने अंकित (क) तिथि–07/04/2018 को समय–12.30 बजे अपराह्न में नगर निगम कार्यालय के सभाभवन में खुली डाक द्वारा बन्दोवस्ती की जाएगी। अपरिहार्य कारण बश उक्त निर्धारित तिथि को बन्दोवस्ती नहीं होने पर सैरातों के सामने अंकित अनुवर्त्ती तिथि कमशः 'ख' को पूर्व निर्धारित समय एवं स्थान पर बन्दोवस्ती की कार्रवाई की जाएगी। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित तिथि एवं समय उपस्थित होकर सार्वजनिक डाक में भाग ले सकते है।

कमांक	परिसम्पत्ति का विवणी	सुरक्षित जमा राशि	जमानत राशि	बन्दोवस्ती की तिथि एवं समय
1	पूर्वी किला गेट शौचालय	3,04,710	1,21,884	(क)दिनांक– 07/04/2018 अपराह्न 12.30 बजे अनुवर्त्ती तिथि–(ख)दिनांक–10/04/2018 अपराह्न 12.30 बजे
2	अस्पताल रोड शौचालय	1,30,200	52,080	
3	विश्वास बोर्ड द्वारा हस्तांतरित शौचालय के अंतर्गत टैक्सी स्टैण्ड शौचालय का डाक	89,518	35,810	

आवश्यक शर्तेः–

1. डाक में भाग लेने वाले व्यक्ति को डाक बोलने के पूर्व अपना आवासीय पता अनुमण्डल पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा अद्यतन निर्गत या वोटर कार्ड की अभिप्रमाणित छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा।
2. डाक में भाग लेने के पूर्व डाक वक्ता को सुरक्षित जमा राशि का 40 प्रतिशत जमानत की राशि नगर निगम कोष में जमा करना अनिवार्य होगा जो डाक समाप्ति के बाद असफल डाक वक्ताओं को जमानत की राशि वापस कर दी जाएगी, तथा सफल डाक वक्ता की जमानत की राशि डाक डाक की बोली गई स्वीकृति राशि में समायोजित कर दिया जाएगा।
3. उच्चतम डाक वक्ता को बन्दोवस्ती दी जाएगी तथा डाक समाप्ति के तुरंत बाद डाक की सम्पूर्ण राशि एक मुश्त नगर निगम कोष में जमा करना अनिवार्य होगी।
4. बन्दोवस्ती स्थल/ बाजार की सफाई एवं रख–रखाव की जिम्मेवारी डाकधारी की होगी।
5. सभी तरह के विवादों का निपटारा स्थानीय न्यायालय स्तर से ही मान्य होगा।
6. बन्दोबस्तधारी को अद्यतन श्रमकानूनों का पालन करना होगा एवं जी0एस0टी0 सहित अन्य सभी अद्यतन सरकारी कानूनों का पालन करना अनिवार्य होगा।
7. इण्डियन स्टाम्प एक्ट सिड्यूल–1A के अनुसार एकरारनामा का पंजीकरण स्वीकृत बन्दोवस्ती की राशि के 3 प्रतिशत मल्य के स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा स्वीकृत बन्दोबस्तदार को करना अनिवार्य होगा।
8. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये डाक को रद्द/समाप्त करने या पुनः डाक कराने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

20/3/18
महापौर
नगर निगम, मुंगेर।

20/3/18
नगर आयुक्त
नगर निगम, मुंगेर।